

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 15/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 10 □□□, 2020

सा.का.नि. (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित "नायलान टायर कार्ड फेब्रिक (एनटीएसएफ)" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 59 के अंतर्गत आता है, पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 30/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 जून, 2015, जिसे सा.का.नि. 489 (अ), दिनांक 12 जून, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/22/2019-डीजीटीआर, दिनांक 21 नवम्बर, 2019, जिसे दिनांक 21 नवम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और इस प्रतिपाटन शुल्क को उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार 6 महीने की और अवधि तक जारी रखने का अनुरोध किया है;

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 30/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 जून, 2015, जिसे सा.का.नि. 489 (अ), दिनांक 12 जून, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 11 दिसम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है तो, लागू रहेगी।"

[फाइल संख्या 354/63/2004-टीआरयू (पार्ट-IV)]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार